

विवार-प्रवाह... कैसे
बदलीं स्थितियां

मौसम

अधिकतम न्यूनतम
37.0° 24.0°

देहरादून, शुक्रवार, 13 मई 2022

चेज़ा शी



39243.39

2

फिनलैंड ने किया सदस्यता का ऐलान

7

फैस द्रविड़ की कर रहे हैं जमकर तारीफ

ज्ञानवापी मस्जिद के चप्पे-चप्पे का होगा सर्वे

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज़)

नई दिल्ली। देश में आज चार जगहों पर धार्मिक स्थलों से जुड़े विवाद में सुनवाई हुई। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर कोर्ट के फैसले पर लोगों की नजरें थीं। दूसरी तरफ आगरा के ताजमहल में 22 कमरों को खुलवाने को लेकर भी याचिका पर सुनवाई हुई। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया है।


इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत को 4 महीने के भीतर संबंधित याचिकाओं को निपटाने का आदेश दिया। वहीं, मध्यप्रदेश के धार में भोजशाला विवाद को लेकर हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने हिंदू संगठन की याचिका को स्वीकार कर लिया।

ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद मामले में कोर्ट ने स्पष्ट फैसला दिया कि कोर्ट कमिशनर को नहीं हटाया जाएगा।

नहीं हटाए जाएंगे कोर्ट कमिशनर, 17 मई के पहले दोबारा होगा सर्वे

चार महीनों के भीतर सभी अर्जियों का निपटारा करें मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा की अदालत को निर्देश देते हुए कहा कि मूल वाद से जुड़ी सभी अर्जियों को जल्द से जल्द निपटाएं। हाई कोर्ट ने इन सभी अर्जियों का अधिकतम 4 महीने में निपटारा करने के निर्देश दिए हैं।

अदालत ने कहा कि 17 मई के पहले दोबारा सर्वे होंगा। कोर्ट कमिशनर के साथ दो और वकील होंगे। मुस्लिम पक्षकारों ने कोर्ट कमिशनर को बदलने की मांग की थी, जिसे सिविल जज ने



खारिज कर दिया। मस्जिद के साथ इस बात पर जोर दिया अंदर सर्वे का मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया था। इस आपत्ति को कोर्ट ने भी खारिज किया। इससे मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है।

वादी कमिशनर ने सुरक्षा को लेकर जतायी चिंता: वहीं मामले में कोर्ट के अंदर चली बहस के दौरान वादी पक्ष के अधिवक्ता कमिशनर द्वारा प्रतिवादी पक्ष की ओर से जांच को लेकर उठाए गए सवाल पर न्यायालय के सामने मौखिक

वादी पक्ष के वकील ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि न्यायालय ने अपने आदेश से यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन शताला खोलकर—चाहें ताला तोड़कर कमीशनरी टीम को अंदर भेजने का काम करें। वकील के अनुसार न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि अंदर जाने में यदि कोई भी परेशानी आती है तो जिला प्रशासन रास्ता लियर कराकर टीम को अंदर पहुंचाएगा। आदेश के अनुसार यदि कोई बीच में आता है और किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न करता है तो प्रशासन उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगा।

रूप से कहा कि उनके द्वारा न्यायालय के आदेशनुसार सही एवं निष्पक्ष कमीशन कायदावाही की जा रही है। अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि कमीशन कायदावाही अपील मात्र प्रारम्भ ही हुई है और प्रतिवादी पक्ष द्वारा अधिवक्ता कमीशन पर प्रश्न कर दिया। इस मामले में मुस्लिम पक्ष अब अदालत के फैसले का विरोध करेगा और अदालत में नए सिरे से इस फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी।

पहले पीछड़ी करें फिर कोर्ट आए: हाईकोर्ट

ताजमहल के बंद कमरों को खोलने की याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि ताजमहल के बारे में रिसर्च करने के बाद ही याचिका डालें। कोर्ट ने याचिका डालने वाले अद्याया बीजीपी नेता से बहा है कि पीआईएल का मजाक ना बनाएं। पहले पढ़ लें, ताजमहल कब और किसने बनवाया। जरिट्स लीक उपाध्याय ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि PIL व्यवस्था का दुरुपयोग ना करें। इसका मजाक ना बनाएं। ताजमहल किसने बनवाया, पहले जाकर रिसर्च करो। यूनिवर्सिटी जाओ, पीएचडी करो तब कोर्ट आना। रिसर्च से कोई रोके तब हमारे पास आना। अब इतिहास को आपके मुताबिक नहीं पढ़ाया जाएगा।

संक्षिप्त समाचार

आतंकियों ने दफतर में घुसकर कश्मीरी पंडित की गोली मारकर की हत्या एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज़) बड़गाम। जिले में गुरुवार को आतंकियों ने तहसीलदार कार्यालय में घुसकर कश्मीरी पंडित कर्मचारी को गोली मार दी। इससे वह लहूलूहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। अचानक हुई दफतर में फायरिंग से कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। आतंकियों के मौके से फरार होने के बाद अन्य ने घायल कर्मचारी राहुल भट को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। 24 घंटे में 2827 लोग संक्रमित, 24 की मौत एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज़) नई दिल्ली। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। खास्थ मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2,827 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 3,230 लोग रिकवर हुए हैं। हालांकि, इस दौरान 24 लोगों की मौत भी हुई है। एकिटव केस भी लगातार कम हो रहे हैं।

राज्यसभा की 57 सीटों के लिए चुनाव का एलान चुनाव आयोग ने की एक बड़ी घोषणा

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज़)

नई दिल्ली। भारत के चुनाव आयोग ने गुरुवार को एक बड़ी घोषणा की है। आयोग ने कहा कि 15 राज्यों में फैली 57 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून से चुनाव होंगे। उच्च सदन के लिए सीटों का बाद तमिनाउ और महाराष्ट्र का नंबर आता है, जहां पर 6-6 सीटों पर चुनाव होंगे, जबकि तीसरे स्थान पर विहार है, जहां 5 सीटों पर मतदान किया जाएगा। इसके बाद तमिनाउ और महाराष्ट्र का नंबर आता है, जहां पर 6-6 सीटों पर चुनाव होंगे, जबकि तीसरे स्थान पर विहार है, जहां 5 सीटों पर मतदान किया जाएगा।

आपको बता दें कि 57 राज्यसभा सीटों में राजस्थान, अंध्रप्रदेश, कर्नाटक की 4-4 सीट पर मतदान किया जाएगा, जबकि मध्यप्रदेश एवं ओडिशा की 3-3 सीट शामिल होंगी। वहीं हरियाणा, पंजाब, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ एवं तेलंगाना की 2-2 सीट पर चुनाव

उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर होगा चुनाव

उत्तर प्रदेश राज्य और केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के उत्तर प्रदेश राज्यसभा की 11 सीटों में से 7 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है, जबकि दूसरी तरफ समाजावादी पार्टी के 4 सीटों पर जीत हासिल करने का दावा किया जा रहा है। वहीं जो सदस्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन राज्यसभा में वापस लौटेंगे उनमें कई बड़े नाम शामिल हैं, जिसमें केंद्रीय कर्नाटक की मंत्री निर्मला सीतारमण, झारखण्ड से मुख्तार अब्बास नक्की और महाराष्ट्र से राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल और बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्रा शामिल हैं।

होगा और अंतिम 1 सीट उत्तरखण्ड और टीजी वेंकटेश, जिन्होंने भाजपा की होगी विजय के सामने शामिल होने के लिए तेलुगु जाएगा। चुनाव आयोग ने गुरुवार देशम पार्टी छोड़ दी, वे भी 21 को इस बात की पूरे विस्तार से जानकारी दी।

दूसरी तरफ एक अन्य सेवानिवृत्त हो रही है, उनके सदस्य वाईएसआरसीपी संसदीय नेता विजय साईर रेड्डी निश्चित रूप से अंध्र प्रदेश से फिर से चुने जाएंगे। बता दें कि अंध्र प्रदेश के दो राज्यसभा सदस्य—पूर्व केंद्रीय मंत्री वाईएस चौधरी

देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज़)

नई दिल्ली। राजीव कुमार अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। कानून मंत्रालय की ओर से राजीव कुमार की नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति रामानाथ कोविंद ने नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी दी है। राजीव कुमार देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। वह सुशील चंद्रा की जगह लेने जा रहे हैं। राजीव कुमार अगामी 15 मई को पदभार संभालेंगे।

राजीव कुमार बिहार/झारखण्ड केंद्र 1984 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी हैं, जो फरवरी 2020 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं। राजीव कुमार 1 सितंबर 2020 को चुनाव आयुक्त के रूप में भारत के चुनाव आयोग में शामिल हुए। चुनाव आयोग में कार्यभार संभालने से पहले, राजीव कुमार लोक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष थे। वह अप्रैल 2020 में अध्यक्ष पीईसीबी के रूप में शामिल हुए थे।

नियुक्ति

■1984 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी